नियम 82 : विशिष्ट पहचान संख्या रखने वाले व्यक्तियों के आवक प्रदायों के ब्यौरे

(1) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसे विषिष्ट पहचान संख्या जारी की गई है और वह अपने आवक प्रदायों पर संदत्त करों के प्रतिदाय का दावा करता है, या तो प्रत्यक्षतः सामान्य पोर्टल के माध्यम से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से ऐसे प्रतिदाय दावे के लिए आवेदन के साथ **प्ररूप जीएसटीआर–11** में इलेक्ट्रानिक रूप से कराधेय माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे प्रदायों के ब्यौरे प्रस्तुत करेगा।

(2) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसे संदत्त करों के प्रतिदाय से भिन्न प्रयोजनों के लिए विशिष्ट पहचान संख्या जारी की गई है, कराधेय माल या सेवाओं या दोनों के आवक प्रदायों के ब्यौरे, जिनकी कोई **प्ररूप जीएसटीआर–11** में उचित अधिकारी द्वारा अपेक्षा की जाए, प्रस्तुत करेगा।